न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

| | | |
|---|---|---|
| प्रकरण सं0 – 62/2017/प्रार्थना पत्र | तारीख दायर 01.05.2017 | तारीख फैसला 25.05.2017 |

उनवान

सांवतसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां
– प्रार्थी

बनाम

1– रामसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता तह0 फूलियाकलां
2– गोपालसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता तह0 फूलियाकलां
3– पप्पूसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता तह0 फूलियाकलां
4– मैनेजर, आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा गुलाबपुरा
5– तहसीलदार, फूलियाकलां

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट**

उपस्थित :– श्री विवेक दाधीच : अधिवक्ता प्रार्थी

# निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, प्रार्थी एवं विपक्षी नं0 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 377/345 आ0न0 1078 रकबा 0.75 है0 जो प्रार्थी एवं विपक्षी नं0 1 की संयुक्त खातेदारी की होकर 1/2 व 1/2 हिस्सा है। तथा खाता संख्या 378/344 आ0न0 1077 रकबा 0.77 है0 वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी नं0 1 का संयुक्त 2/3 हिस्सा एवं विपक्षी नं0 2 व 3 का 1/3 हिस्सा है। चूंकि पेरा नं0 1 के उप पेरा नं0 ब मे वर्णित भूमि 0.77 है जिसमे करीब एक बीघा भूमि पूर्व मे बिलानाम थी एवं उस पर कब्जा प्रार्थी का ही था एवं प्रार्थी द्वारा खातेदारी की कार्यवाही करा पूर्व मे अपने नाम करा दी थी लेकिन सेटलमेन्ट वालों ने संयुक्त खातेदारी से दर्ज कर दी लेकिन आज भी उक्त विपक्षी नं0 2 व 3 के हिस्से वाली भूमि मे से करीब एक बीघा भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। कोई भी पक्षकार उक्त संयुक्त आराजी के किसी भी हिस्से का बिकाव नही करे न रहन रखे इसके लिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना भी न्याय हित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे व विपक्षी नं0 1 लगायत 3 के विरूद्व ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पैरा नं0 2 के उप पैरा अ व ब मे वर्णित आराजीयात जो अविभक्त है का जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक कोई पक्षकार किसी भूमि के हिस्से का बिकाव नही करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा कारित नही करे न करावे।

सहमति प्रदान की। विपक्षी नं0 2 व 3 बावजूद सूचना व सम्मन तामील के आवाजे दिलाई जाने के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। मैने बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टि0एक्ट ता फैसला वाद स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 3 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे खाता संख्या 377/345 आ0न0 1078 रकबा 0.75 है0 जो प्रार्थी एवं विपक्षी नं0 1 की संयुक्त खातेदारी की होकर 1/2 व 1/2 हिस्सा है। तथा खाता संख्या 378/344 आ0न0 1077 रकबा 0.77 है0 वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी नं0 1 का संयुक्त 2/3 हिस्सा एवं विपक्षी नं0 2 व 3 का 1/3 हिस्सा है उसमें प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात का जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक कोई पक्षकार किसी भूमि के हिस्से का बिकाव नही करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा कारित नही करे न करावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

**आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को केम्प देवरिया पर सुनाया गया।**

*(के0आर0 खौड़)*
*आर0ए0एस0*
*उपखण्ड अधिकारी एवं*
*सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)*

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला-भीलवाड़ा